सत्यमेव जयते

अध्यक्ष, लोक सभा

SPEAKER, LOK SABHA

संदेश

भाषा राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गई। जब वर्ष 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माताओं को भारतीय संघ के सरकारी कामकाज के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो राष्ट्र के विभिन्न वर्गों की भाषा बन सके और भारतीय संस्कृति की सामाजिक चेतना तथा बहुलतावादी प्रकृति को अभिव्यक्त कर सके। इस सम्बन्ध में गांधी जी के चिंतन ने उनका मार्गदर्शन किया। गांधी जी ने 'यंग इंडिया' में लिखा - **"अगर यह स्वराज्य करोड़ों भूखों मरने वालों का, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों का, दलितों व अन्त्यजों का हो, तो इन सबके लिए हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।"**

इस विचार से प्रेरणा ग्रहण करते हुए संविधान सभा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने गंभीर विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के माध्यम से भारतीय संघ के सरकारी काम-काज हेतु राजभाषा के रूप में चुना। आरम्भ में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी में सरकारी काम-काज करने में कुछ कठिनाइयां आयीं। किन्तु, कालक्रम में हिंदी का प्रयोग सुगम व सुचारू होता चला गया।

आज हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा के रूप में सुशोभित है और साहित्य, कला, सिनेमा तथा मीडिया में इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। लोक संस्कृति में तो हिन्दी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ही, परन्तु प्रसन्नता का विषय है कि नए वातावरण में हिन्दी को सरकारी कामकाज में भी समुचित स्थान मिलने लगा है। किन्तु इस संबंध में अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर लोक सभा में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो।

आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है तथा भारत ई-गर्वनेंस के रास्ते पर चल कर डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल क्रांति की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में, यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषा को आधुनिक तकनीक तथा सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में भी स्थापित किया जाए।

हिन्दी भारतीय संस्कृति की संवाहिका है। हिन्दी का अदृश्य तार सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोता है। अतः, भारत में संघ के विभिन्न निकायों, संस्थाओं और कार्यालयों में अधिकाधिक कामकाज हिन्दी में होगा तो हम **'एक भारत-श्रेष्ठ भारत'** के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सुदृढ़ता से आगे बढ़ पाएंगे। इस संबंध में हमें **भारतेन्दु हरिश्चन्द्र** के संदेश को आत्मसात करना होगा-

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।"

(ओम बिरला)